ए.

मेसर्स भारती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.

ग्राहक और केंद्रीय एक्सक्लूसिव आयुक्त, गुंटूर

(2010 की सिविल अपील सं. 3005) 1 मार्च, 2023

बी.

[एस**.** रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975-धारा XVII के लिए टिप्पणी 2-छूट अधिसूचना के लाभ को लागू नहीं किया गया और अस्वीकार कर दिया गया, यदि "कटर सक्शन ड्रेजर" के अभिन्न अंग-अपीलार्थी ने पाइप, एंकर बोट, मल्टीकेट, ड्रेजिंग पंपिंग यूनिट, इंजन और 1975 के अधिनियम के अध्याय शीर्ष 8905 10 00 के तहत वर्गीकृत अन्य पुर्जों और सहायक उपकरणों सहित अन्य सहायक उपकरण और उपकरणों के साथ एक कटर सक्शन ड्रेजर का आयात किया-अधिसूचना के तहत शुल्क की शून्य दर का दावा किया गया लाभ-सहायक आयुक्त ने कहा कि मल्टीकेट, पाइप, आयातित ड्रेजिंग पंपिंग यूनिट और अन्य सामान विभिन्न टैरिफ शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किए गए थे और इस प्रकार, इसके तहत छूट के हकदार नहीं थे। धारा XVII के नोट 2 के अनुसार, सहायक उपकरण के पुर्जे और पुर्जे निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकते हैं, जिनमें 8401-79,8481-82 के तहत वर्गीकृत की जा सकने वाली वस्तुएं शामिल हैं, और कुछ हद तक, 8483-CESTAT द्वारा की गई त्रुटि यह है कि प्रत्येक बहिष्कृत वस्तु को एक अपास्त करना भाग के रूप में माना गया था और कटर ड्रेजर के कामकाज के लिए अभिन्न नहीं था-CESTAT द्वारा बहिष्कृत प्रत्येक इकाई कटर ड्रेजर के कामकाज के लिए अभिन्न है-कंप्रेसर और ड्रेज्ड सामग्री को पंप करने के लिए आवश्यक पाइप के बिना, कटर ड्रेजर इस तरह से काम करना बंद कर देगा-अन्य वस्तुएं भी कटर ड्रेजर के अभिन्न अंग हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हों-परीक्षण नहीं किया जाता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामआयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर 2022 एससीसी ऑनलाइन

(एससी**) 1232-**लागू नहीं किया गया।

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया

प्रा. लिमिटेड [2002 (139) ईएलटी ए 313 (एससी); सरस्वती शुगर

मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त **(2014) 15** एससीसी

बी.

625 :[2011] 13 एस**.** सी**.** आर**. 579-**संदर्भित।

बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त

सीमा शुल्क, भुवनेश्वर, [2001 (135) ई. एल. टी. 1396-संदर्भित।

सी.

संदर्भित निर्णय

[2011] 13 एससीआर **579**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2010 की सिविल अपील No.3005।

डी.

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बैंगलोर के निर्णय और आदेश दिनांक 28.05.2009 से अपील No.C/690/2008 में।

कुमार विशालक्ष, उदित जैन, अजितेश दयाल सिंह, अभय चट्टोपाध्याय, प्रवीण कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, वी. सी. भारती, एस. ए. हसीब, सुश्री अलका अग्रवाल, सुश्री रुचि गौर नरूला, सैयद अब्दुल हसीब, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

एफ.

1. अपीलार्थी ने पाइप, लंगर नौका, मल्टीकेट, ड्रेजिंग पंपिंग इकाइयों, इंजनों और अन्य पुर्जों और सहायक उपकरणों सहित अन्य सहायक उपकरण और उपकरणों के साथ एक "कटर सक्शन ड्रेजर" का आयात किया था।इन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम") के अध्याय शीर्ष 8905 10 00 के तहत वर्गीकृत किया गया था।अपीलार्थी ने अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. यू. एस. दिनांक 01.03.2002 के संदर्भ में शुल्क की शून्य दर के लाभ का दावा किया।अपीलार्थी ने माल के निरीक्षण के आधार पर चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी 27.02.2008 दिनांकित प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था।बिल ऑफ एंट्री के सत्यापन के बाद, सहायक आयुक्त की राय थी कि मल्टीकैट, एम. एस. पाइप, आयातित ए

जी.

एच.

741

मेसर्स भारती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.कमार ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, गुंटूर [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ड्रेजिंग पम्पिंग इकाइयाँ और अन्य सामान विभिन्न शुल्क शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किए जा सकते थे और अधिसूचना के तहत छूट के हकदार नहीं थे।

"ड्रेजर्स" के रूप में।

2. व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती अपीलार्थी ने सीमा शुल्क आयुक्त (अपील), गुंटूर (इसके बाद "अपीलीय आयुक्त") से अपील की।अपीलीय आयुक्त ने प्रत्येक भाग के कार्यों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा राहत प्रदान की और कहा कि नौ आइटम छूट के हकदार हैं।इन्हें अपीलीय आयुक्त के आदेश के पैराग्राफ 25 में निर्धारित किया गया था, जिसे आसान संदर्भ के लिए निकाला गया है:

बी.

सी.

डी.

ई.

3. अपीलीय आयुक्त ने राहत देते समय, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के पिछले आदेश पर भरोसा किया था जिसे बोस्कलिस ड्रेजिंग के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर, [2001]

(135) ई. एल. टी. 1396] ("इसके बाद" बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में।

एफ.

लिमिटेड ")।

4. राजस्व ने सीईएसटीएटी से अपील की। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अन्य पिछले निर्णयों पर भरोसा किया और अधिनियम की धारा XVII के अध्याय नोट को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया है कि 'पुर्जे' और 'उपसाधन के पुर्जे', कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकते हैं, चाहे वे पहचान योग्य हों या नहीं, जहां तक उस धारा के माल का संबंध था।नोट 2 (ई) की व्याख्या यह अभिनिर्धारित करने के लिए की गई थी कि जिन भागों को अपीलीय आयुक्त ने कटर ड्रेजर के लिए आवश्यक माना था, वे अलग-अलग लेख थे।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अपीलीय आयुक्त के निष्कर्षों को परेशान कर दिया और सहायक आयुक्त के आदेश को बहाल कर दिया।

जी.

एच.

5. अपीलार्थी आग्रह करता है कि विवादित आदेश ने अपीलीय आयुक्त के निर्धारण में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक वस्तु, जिसे छूट के लाभ से वंचित किया गया था, एक कटर ड्रेजर के साथ एकीकृत रूप से जुड़े कार्यों का प्रदर्शन करती थी।विद्वान अधिवक्ता

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम बोस्कलिस के फैसले पर भरोसा किया

ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [2002 (139) ई. एल. टी. ए. 313 (एस. सी.)] जिसके द्वारा इस न्यायालय ने बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया प्रा. लि. में सी. ई. जी. ए. टी. के आदेश की पुष्टि की।

बी.

लिमिटेड (सुप्रा)।

6. राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय पर भरोसा किया

इस न्यायालय ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामआयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर [2022 एससीसी ऑनलाइन (एससी) 1232]।में।

सी.

उस निर्णय पर, इस न्यायालय को इस सवाल से निपटना था कि क्या गाइड कार की सहायता से कोक ओवन बैटरी से गर्म कोक के परिवहन के परिणामस्वरूप परिवहन वाहन यानी गाइड कार कोक ओवन बैटरी का एक अभिन्न अंग है।न्यायालय ने उस अवसर पर भरोसा किया था

सरस्वती चीनी मिल बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, (2014) 15 एस. सी. सी. 625 में पिछले फैसलों पर।सरस्वती चीनी मिलों (ऊपर) में,

डी.

न्यायालय के पास इस बात से निपटने का अवसर था कि शब्द का गठन क्या है

“ संगत "।

7. इस न्यायालय ने सरस्वती शुगर मिल्स (सुप्रा) पर भरोसा करने और शब्दकोशों से सहायता लेने के बाद कहा कि गाइड कार को कोक ओवन बैटरी का एक घटक नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि समान सादृश्य से, पंपिंग इकाइयाँ, वायु कंप्रेसर, पंप, पाइप, तार जाल, स्टील कोण प्लेट और बाहरी इंजन नाव, जिनमें से सभी को छूट अधिसूचना का लाभ दिया गया था, को 'घटक' नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा यह आग्रह किया गया कि अपीलीय आयुक्त ने अधिनियम की धारा XVII के नोट 2 की अवहेलना की थी, जिसमें स्पष्ट

रूप से विचाराधीन लेखों को बाहर रखा गया था; उन्हें संबंधित शीर्षों के तहत अलग से वर्गीकृत किया जाना था।

ई.

एफ.

8. बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया प्रा. लि. में न्यायाधिकरण का आदेश। लिमिटेड (सुप्रा) ने एक समान पहलू से निपटा; आयातित वस्तु जो उस मामले में विचाराधीन थी, एक कटर सक्शन ड्रेजर थी, जो वर्तमान मामले में उसी तरह थी।न्यायाधिकरण ने विभिन्न घटकों और सापेक्ष कार्यों पर विचार करने के बाद समग्र इकाई में उनकी उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया थाः

जी.

"ऊपर निकाले गए विभिन्न ड्रेजरों की परिभाषाओं से हम पाते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ड्रेजिंग का अर्थ खुदाई है।लेकिन निश्चित रूप से ए को लगातार उठाने की आवश्यकता है।

एच.

ड्रेज की गई सामग्री और उसे किसी अन्य स्थान पर फेंक दें।यह निर्वहन प्रणाली की एक अलग निपटान प्रणाली द्वारा किया जा सकता है जो स्वयं ड्रेजर का एक हिस्सा हो सकता है।ब्रिटिश मानक विनिर्देशन (बी. एस. 6349, भाग-5 एल. 199) का उल्लेख करते हुए हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के ड्रेजर हैं जैसे स्थिर सक्शन हॉपर ड्रेजर, ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर, कटर सक्शन ड्रेजर आदि। तत्काल मामले में ड्रेजर हॉपर ड्रेजर के विपरीत एक कटर सक्शन ड्रेजर है जो ड्रेज्ड सामग्री को अपनी पकड़ (हॉपर) में रखता है।जब पकड़ को भर दिया जाता है, तो उक्त हॉपर ड्रेजर किसी भी पाइपलाइन की सहायता के बिना ड्रेज्ड सामग्री के निर्वहन के निर्दिष्ट क्षेत्र में चला जाता है।इस प्रकार के हॉपर ड्रेजर्स में न तो सक्शन पाइप और न ही डिस्चार्ज पाइप आवश्यक हो सकते हैं।कटर सक्शन ड्रेजर के मामले में, ड्रेजिंग कार्य करने की प्रक्रिया अलग है। कटर-हेड ड्रेजर से सुसज्जित है जिसके नीचे एक सक्शन पाइप है।उक्त कटर पानी के नीचे मिट्टी, चट्टान आदि को काटता है जब ड्रेज्ड सामग्री जमा हो जाती है।चूंकि इन ड्रेज्ड सामग्री को निरंतर निर्बाध ड्रेजिंग कार्य के लिए ड्रेजर से लेना पड़ता है, इसलिए सक्शन पाइप ड्रेज्ड सामग्री को चूस लेता है।सक्शन पाइप को फ्लैंज/बेल्ट, नट और बोल्ट आदि की सहायता से डिस्चार्ज पाइप से जोड़ा जाता है। निर्वहन पाइप फिर इन ड्रेज्ड सामग्री को निर्दिष्ट क्षेत्र में फेंक देते हैं जो किसी दूर के स्थान पर हो सकता है।यह कटर सक्शन ड्रेजर का यह कार्य है जिसमें ड्रेजिंग के साथ-साथ निर्वहन भी शामिल है, जो पाइपलाइनों को ड्रेजर का एक आवश्यक हिस्सा बनाता है

क्योंकि इन पाइपलाइनों के बिना विचाराधीन प्रकार का ड्रेजर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, पैरा 4.4।1 ब्रिटिश मानक विनिर्देशन को बेहतर सराहना के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है; -

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“ 4.4.1 जनरल "

.....कटर सक्शन ड्रेजर स्व-चालित हो सकता है लेकिन आमतौर पर मूक (गैर-स्व-चालित) होता है।ड्रेजिंग केवल ड्रेजर के साथ किसी तरह से लंगर डाला जाता है और इसमें भूमि सुधार के निपटान के लिए एक दूरदराज के तटवर्ती क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से नौकाओं या अधिक सामान्य रूप से चूषण और पंप किए गए निर्वहन के साथ एक प्रारंभिक शक्तिशाली काटने की कार्रवाई शामिल होती है।

जी.

एच.

744 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

कटर सक्शन ड्रेजर को आम तौर पर या तो डिस्चार्ज पाइप के व्यास के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, जो 150 मिमी से 1100 मिमी तक हो सकता है, या कटर हेड ड्राइविंग हॉर्स पावर द्वारा, जो 20 से 5000 तक हो सकता है, या बहुत बड़े ड्रेजर के मामले में कुल स्थापित हॉर्स पावर द्वारा।मुख्य पंटून संरचना में ड्रेज पंप (ओं), मुख्य इंजन और सभी सहायक इंजन, ड्राइव और उपकरण शामिल हैं।

बी.

ड्रेज पंपों (ओं) से निर्वहन पोंटून के स्टर्न (या विपरीत छोर कटर) के ऊपर से एक भारी नली या लचीली युग्मन तक जाता है, जिससे एक तैरती पाइपलाइन जुड़ी होती है (ए. 4.5 देखें।3) जो बदले में एक तटवर्ती पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है।कभी-कभी एक मध्यवर्ती समुद्री तल पाइपलाइन का उपयोग किया जा सकता है।” पैरा 4.4।2 ब्रिटिश मानक विनिर्देशन को भी बेहतर सराहना के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

सी.

" 4.4.2.पाइप लाइनें

डी.

पाइपलाइन कटर सक्शन ड्रेजर के प्रदर्शन और परिचालन दक्षता दोनों को प्रभावित करती है। पाइपलाइन के व्यास का सीधा असर पनबिजली परिवहन प्रक्रिया की दक्षता पर पड़ता है। पाइपलाइन निम्नलिखित दो श्रेणियों में आती हैं।"

ई.

11. कटर सक्शन ड्रेजर के उपरोक्त विवरण से भी हम पाते हैं कि सक्शन ड्रेजर के साथ जुड़ी पाइपलाइनें मुख्य मातृ शिल्प का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।कटर हेड, जो विद्युत या हाइड्रोलिक रूप से संचालित हो सकता है, एक केंद्रत्यागी ड्रेज पंप के चूषण सेवन को घेरता है।कटरहेड को एक गढ़ी हुई इस्पात संरचना के चरम पर लगाया जाता है, जिसे "सीढ़ी" कहा जाता है, जो सक्शन पाइप को भी सहारा देता है।ड्रेज्ड सामग्री के निपटान की तकनीकी और व्यावहारिक आवश्यकता पाइपलाइनों को मुख्य ड्रेजर का एक हिस्सा बनाती है।हम पाते हैं कि ब्रिटिश मानक विनिर्देशन के रूप में अपीलार्थी फर्म द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया था, वे दृढ़ता से उनके मामले का समर्थन करते हैं।तदनुसार, हम मानते हैं कि विभिन्न प्रकार की पाइपलाइन ड्रेजर का ही एक हिस्सा हैं, जो ड्रेजर के रूप में अध्याय 8905.00 के तहत उनके वर्गीकरण के लिए योग्य हैं और इसलिए, वे छूट अधिसूचना संख्या 133/87-Cus., दिनांक 19.3.87 के हकदार हैं।ए के रूप में

एफ.

जी.

एच.

हमने अधिसूचना संख्या 133/87 के तहत छूट का आनंद लेने वाले ड्रेजर के एक हिस्से के रूप में पाइपलाइनों को रखा है, अपीलार्थियों अधिसूचना संख्या 106/92 दिनांक 1.3.92 के तहत छूट का दावा करते हैं, वैकल्पिक रूप से, किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है।इस प्रकार अपील की अनुमति है।"

9. वर्तमान मामले में प्रवेश पत्र में माल को "कटर सक्शन ड्रेजर और टा सिंग के साथ-साथ मानक पुर्जे, सहायक उपकरण, पाइप आदि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें मल्टीकेट (2 संख्या) और एंकर बोट (1 संख्या) शामिल हैं। कटर सक्शन ड्रेजर के साथ उपयोग की जाने वाली ड्रेजिंग पंपिंग इकाई (2 संख्या) मानक पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ इंजन (2

संख्या)।" आदेश और अपील में, चार्टर्ड इंजीनियर की निरीक्षण रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से पर ध्यान दिया गया था।

बी.

सी.

इसे नीचे निकाला गया हैः

"ड्रेजर का मुख्य कार्य गहराई बढ़ाने के लिए समुद्र तल से रेत, घोल आदि को निकालना है। विभिन्न प्रकार के ड्रेजर हैं जैसे कटर सक्शन (प्रणोदन के बिना), स्वयं प्रणोदन के साथ ट्रेलर सक्शन, बैक हो ड्रेजर आदि। ड्रेजर और एंकर बोट और अन्य ड्रेज स्प्रेड जैसे संबद्ध उपकरणों का चयन संचालन के क्षेत्र पर निर्भर करता है।

डी.

चूंकि आयातित ड्रेजर प्रणोदन के बिना एक कटर सक्शन ड्रेजर होता है, इसलिए सर्वेक्षण करने, ड्रेज्ड क्षेत्र में ध्वनि लेने और तट से ड्रेजर तक पुरुषों और सामग्री के परिवहन के लिए मल्टी कैट नौकाओं और अन्य नौकाओं को संभालने वाला लंगर होता है।

ई.

ड्रेजर के निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है जो पाइप लाइनों को फ्लश करने के लिए चालान, संपीड़ित हवा और वेल्डिंग के साथ फिल्टर, विभिन्न भागों की गैस काटने और दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटकों की मशीनिंग भी आवश्यक है।

एफ.

चूंकि अधिकांश परियोजना स्थल में स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए जनरेटरों को तट समर्थन कार्य दुकान को बिजली प्रदान करने के लिए तैनात किया जाता है जिसमें वेल्डिंग, मशीनिंग और साइट की रोशनी आदि होती है, पंपिंग स्टेशन मूल रूप से इंजन, संचालित अपकेंद्र पंप होते हैं जिनका उपयोग स्लरी/कीचड़ को साइट से दूर एक स्थान पर पंप करने के लिए बूस्टर पंप के रूप में किया जाता है।

जी.

एच.

इसलिए, पूर्ण ड्रेज स्प्रेड जिसमें विभिन्न नावें, और अन्य मशीनरी और उपकरण शामिल हैं, स्थान और कार्य के प्रकार के आधार पर तय किया जाना चाहिए।"

10. अपीलीय आयुक्त ने तब पूर्ववर्ती पर विचार किया

बोस्कलिस ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ऑर्डर। (सुप्रा) और निपटाया गया

बी.

प्रत्येक वस्तु अलग-अलग।यह देखा गया कि ड्रेजर पंपिंग इकाइयाँ कटर सक्शन ड्रेजर के लिए आवश्यक हैं, जो कि हॉपर ड्रेजर के मामले में नहीं हैं।इसके अलावा, बूस्टर पंपों को हवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एयर कंप्रेसर का उपयोग भी आवश्यक है।अपीलीय आयुक्त ने अपीलार्थी द्वारा जनरेटर, उपभोग्य खराद आदि के प्रति किए गए कुछ दावों को बाहर करने का ध्यान रखा। इसी तरह, अपीलीय आयुक्त ने स्टील कोण प्लेटों, पाइपों और तार जाल के संबंध में छूट के दावे की अनुमति दी, जिसे बूस्टर पंप स्टेशनों के निर्माण के लिए उपयोगी माना गया था।

सी.

11. धारा XVII की टिप्पणी 2, जिस पर राजस्व और न्यायाधिकरण द्वारा वर्तमान मामले में भरोसा किया गया है, निम्नलिखित प्रभाव से हैः

डी.

“"पुर्जे" और "पुर्जे और सहायक उपकरण" अभिव्यक्ति निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होती है, चाहे वे इस धारा के माल के रूप में पहचान योग्य हों या नहीं।-

(ए) से (डी)।

ई.

(ई) 8401 से 8479 तक के शीर्षकों की मशीनें या उपकरण, या उसके भाग; 8481 से 8482 तक के शीर्षक के लेख, या, बशर्ते वे इंजन या मोटर के अभिन्न अंग हों, 8483 शीर्षक के लेख।”

एफ.

12. ऊपर निकाले गए नोट के एक सादे पढ़ने से पता चलता है कि सहायक उपकरण के पुर्जे और पुर्जे निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकते हैं, जिनमें 8401-79,8481-82 और कुछ हद तक 8483 के तहत वर्गीकृत की जा सकने वाली वस्तुएं शामिल हैं।वर्तमान मामले में, इस न्यायालय के विचार में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा की गई त्रुटि यह है कि बहिष्कृत वस्तुओं में से प्रत्येक को एक अलग भाग के रूप में माना गया है और कटर ड्रेजर के कामकाज के लिए अभिन्न नहीं है।ड्रेज्ड सामग्री को पंप करने के लिए आवश्यक कंप्रेसर और पाइप के बिना, कटर ड्रेजर इस तरह से काम करना बंद कर देगा।इसी तरह अन्य वस्तुएं कटर ड्रेजर के अभिन्न अंग हैं, भले ही उनका उपयोग स्वतंत्र रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।परीक्षण यह नहीं है कि क्या कई उपयोग संभव हैं, बल्कि यह है कि क्या ये भाग ए के लिए आवश्यक हैं।

जी.

एच.

747

मेसर्स भारती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.कमार ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, गुंटूर [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कटर ड्रेजर में ड्रेजिंग का उद्देश्य।इस प्रकार, वर्तमान मामले में नोट 2 पर राजस्व की निर्भरता असंगत है।

13. जहां तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले पर निर्भरता का सवाल है, न्यायालय ने निस्संदेह कहा कि गाइड कारों को कोक ओवन प्लांट का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।कोक ओवन बैटरी के काम करने के लिए गाइड कारों के आवश्यक नहीं होने के संबंध में सामान्य टिप्पणियों के अलावा, कोक ओवन बैटरी के अन्य आवश्यक कार्य क्या हैं और क्या गाइड कार उसका एक अभिन्न अंग है, यह एक ऐसा पहलू था जिस पर न्यायालय ने विचार किया।इस न्यायालय की राय में, वह निर्णय इस मामले में उत्पन्न वर्गीकरण विवाद को हल करने में मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है, अर्थात क्या छूट अधिसूचना के लाभ से बाहर और वंचित आइटम कटर ड्रेजर के अभिन्न अंग हैं।जैसा कि पहले कहा गया था, प्रत्येक इकाई जिसे सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने बाहर रखा था (जिसे अपीलीय आयुक्त द्वारा लाभ प्रदान किया गया था) कटर ड्रेजर के कामकाज के लिए अभिन्न हैं।इस कारण से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकता है।

बी.

सी.

डी.

14. जहां तक जनरेटरों के बहिष्कार का संबंध है, यह न्यायालय नोटिस करता है कि अपील में आदेश के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश ने इसे छूट अधिसूचना के लाभ से बाहर कर दिया है।न्यायालय को उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

ई.

15. उपरोक्त कारणों से, विवादित आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।तदनुसार अपीलीय आयुक्त के आदेश को बहाल किया जाता है।लागत पर आदेश के बिना इन शर्तों में अपील की अनुमति है।

16. इसलिए, सिविल अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः अनिरुद्ध अग्रवाल और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

जी.

एच.